


फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

विषय जमीनी चीट विपक्षी जांगीबाल चीट
 क्रम संख्या 53, 188 पत्रावली संख्या 256/25 सन 2025

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>23/9/25</u> पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। ति./विपक्षी/सर्वो. को जरिये सम्मन/ नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली का तलबी दि. <u>28/10/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p> <p><u>28/10/25</u> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ताओं उपा. प्रतिवादी संख्या 1,3,5,7,8,9,10 के सम्मन का तामील प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1,3,5,7 अंतुपस्थित रहे। य.सं. 4,6 के सम्मन अंतु तामील प्राप्त पुनः सम्मन पेश करे। य.सं. 2 के सम्मन अंतु तलब रहे। पत्रावली वास्तु तलबी नं. 2/4,6 दिनांक <u>6/11/25</u> को पेश हो।</p> <p><u>6/11/25</u> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान <u>एम.।</u> अस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>10/11/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">B1° L</p>	



10/11/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयाँ
मय स्वयं वादीयाँ अनुपस्थित। अधिवक्ता
वादीयाँ मय स्वयं वादीयाँ को बार-बार
आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM
हो चुके हैं। स्वयं वादीयाँ एवं उनके अधिवक्ता
अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता
वादीयाँ मय स्वयं वादीयाँ अनुपस्थित रहने
पर वादीयाँ का वाद अदम राजरी अदम
पैखी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
कैसल शुमार लेकर नम्बर से कम है।
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) नावली